कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

e-mail-ecmpgwl@hotmail.com

क्रमांक 6–ब–2 / लाय. / 2015–16 / 67 ग्वालियर, दिनांक 25.02.2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स

जिला ....मध्यप्रदेश

विषयः– वर्ष 2015–16 के लिए रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) तथा क्लब बार (एफ.एल.–4 / 4–क) के नवीन लायसेंसों को स्वीकृत किये जाने एवं वर्ष 2014–15 में संचालित बार लायसेंसों को वर्ष 2015–16 के लिए पुर्नस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र क्रमांक बी–1–25 / 2015 / 2 / पांच दिनांक 20.02.2015

वर्ष 2015–16 के लिये राज्य शासन के संदर्भित पत्र द्वारा रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस की स्वीकृति के लिये नीचे दिये अनुसार व्यवस्था अनुमोदित की गयी है।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा अवधारित निर्णय अनुसार प्रारंभ में ही यह स्पष्ट किया जाता है कि मदिरा विक्रय राज्य का एकांत विशेषाधिकार (exclusive privilege) और अधिकार है, जिसे किसी को देने के लिये राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है और कोई भी इसका दावा, अधिकार की तरह राज्य के विरूद्ध नहीं कर सकेगा। अर्थात विनिश्चित की गयी औपचारिकताओं / व्यवस्थाओं की पूर्ति मात्र, किसी आवेदक विशेष को बार लायसेंस की स्वीकृति का दावा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं करती है।

1.– नवीन बार लायसेंसों की स्वीकृति की अनुशंसा हेतु समिति

वर्ष 2015–16 के लिये नवीन रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3) एवं रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–ए) लायसेंसों की स्वीकृति की अनुशंसा के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति निम्नानुसार रहेगी।

1	संबंधित जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
2	संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता	सदस्य
3	संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
4	संबंधित कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5	संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

2. नवीन बार लायसेंसों की स्वीकृति

2.1 वर्ष 2015–16 की अवधि में निम्नांकित अनुसार निर्धारित अधोसंरचनात्मक मापदण्डों को पूरा करने वाले नवीन रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3) तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) के पात्र प्रकरणों पर जिले की जिला समिति के प्रतिवेदन में अंकित स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्ताव **(अधिकतम 03 सप्ताह की अवधि में)** आबकारी आयुक्त को भिजवाये जायें।

2.2 तद्नुसार राज्य शासन द्वारा लायसेंस स्वीकृत किये जाने की अनुमति के अन्तर्गत नवीन रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3) तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) लायसेंस नियत वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा देय प्रतिभूति प्राप्त कर जारी किये जा सकेंगे।

2.3 नवीन क्लब बार लायसेंस, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा की गई अनुशंसा पर पात्र आवेदकों को नियत वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान एवं देय प्रतिभूति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत/जारी किये जायेंगे।

2.4 वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा उसके संयुक्त उपक्रम की इकाईयों को निर्धारित अधोसंरचनात्मक मापदण्डों को शिथिल करते हुए, बार लायसेंस प्रकरणों में अपनी संतुष्टि के आधार पर नवीन लायसेंस जारी किये जाने की स्वीकृति संबंधी निर्णय लेने हेतु आबकारी आयुक्त पूर्ववत अधिकृत रहेंगे।

2.5 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों में स्थित रेस्तरांओं/ होटलों आई.टी.डी.सी. होटलों, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/**HRACC** द्वारा अभिप्रमाणित तीन सितारा एवं इससे उच्च श्रेणी के सितारा होटलों अथवा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास निगम, आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित एक–एक अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा अभिप्रमाणित समकक्ष स्तर के होटलों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित/प्रमाणित हैरिटेज होटलों **(Heritage Hotels)** के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा आवेदन किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि में देय वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध होटल प्रारंभ किये जाने के दिनांक से नवीन होटल बार लायसेंस स्वीकृत किये जा सकें।

2.6 <u>कण्डिका 2.5 में</u> उल्लेखित श्रेणी के होटल बार लायसेंस एक मुश्त अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये वर्तमान में प्रचलित दरों पर, तीन वर्ष की देय वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध स्वीकृत/नवीनीकृत किये जा सकेंगे।

2.7 प्रतिबंध यह रहेगा कि राज्य शासन द्वारा लायसेंस स्वीकृति उपरांत आगामी किसी अवधि में बार लायसेंसों की वार्षिक लायसेंस फीस में वृद्धि की जाती है, तो लायसेंस फीस के देय अन्तर की ऐसी राशि की मांग किये जाने के दिनांक से सात दिवस की अवधि में संबंधित होटल बार लायसेंसी द्वारा ऐसी राशि कोषालय में जमा कर, कोषालय चालान की मूल प्रति संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत कर दी जायेगी, जिसके अभाव में स्वीकृत किया गया लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

3. <u>वर्ष 2014–15 में संचालित</u> रेस्तरां, होटल तथा रिसोर्ट <u>बार लायसेंसों की पुर्नस्वीकृति</u> वाणिज्यिक कर विभाग के संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों एवं आदेशित व्यवस्था के अनुक्रम में वर्ष 2014–15 में संचालित रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) तथा क्लब बार (एफ.एल.–4/4–क) लायसेंसों को वर्ष 2015–16 के लिए पुनःस्वीकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव पृथक–पृथक प्रकरणवार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों एवं वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त संलग्न अभिलेखों के संबंध में जिले में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक लिस्ट (प्रारूप संलग्न) के साथ <u>दिनांक 15.03.2015 तक</u> अनिवार्यतः भिजवाये जायें। इस संबंध में :–

3.1 जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी से यह स्पष्ट प्रमाणीकरण अंकित कराया जाये कि वर्ष 2014–15 में संचालित रेस्तरां, होटल रिसोर्ट तथा क्लब बार (एफ.एल.–2/एफ.एल.–3/एफ.एल 3–क/एफ.एल–4/एफ.एल–4–क) लायसेंसी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबन्धों तथा लायसेंस की शर्तों का सम्यक पालन किया गया है। शासन द्वारा रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट तथा व्यवसायिक क्लब में बार लायसेंस की स्वीकृति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड लायसेंस

परिसर में यथावत प्रभावी रहे हैं। वर्ष 2014–15 में लायसेंसी का आचरण अच्छा रहा है व उसके द्वारा अभिलेखों का नियमानुसार एवं सही–सही संधारण किया गया है।

3.2 वर्ष 2014–15 में लायसेंसी द्वारा किस–किस श्रेणी की कितनी–कितनी विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर) का प्रदाय लिया/विक्रय किया गया है। इसकी लेबिलवार (बोतलों में) मात्रा का जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिसत्यापित लेखा संलग्न भिजवाया जाये।

3.3 वर्ष 2014–15 में स्वीकृत व संचालित रेस्तरां, होटल एवं रिसोर्ट बार (एफ.एल.–2/एफ.एल.–3/एफ.एल.–3 क) लायसेंसों को वर्ष 2015–16 के लिए पुनःस्वीकृत किये जाने की अनुमति, देय वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आदेशित की जायेगी।

3.4 वर्ष 2014–15 में स्वीकृत व संचालित क्लब बार (एफ.एल.–4/4 क) लायसेंसों को वर्ष 2015–16 के लिए देय वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर पुनःस्वीकृत किया जायेगा।

3.5 वर्ष 2014–15 में जिस रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार (एफ.एल.–2/एफ.एल.–3/(एफ.एल.–3 क/एफ.एल.–4/एफ.एल.–4 क) लायसेंस के संबंध में निर्धारित मापदण्डों के विपरीत कार्य संधारण की शिकायतें प्राप्त हुई हों, उन लायसेंसों के पुनःस्वीकृति संबंधी प्रस्ताव भेजने के पूर्व जिला समिति से पुनः स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर, इसका यथास्थिति उल्लेख प्रतिवेदन में कराया जाये।

3.6 प्रतिवेदन में यह स्पष्टतः उल्लेखित किया जाये कि अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014–15 में संबंधित रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार (एफ.एल.–2/एफ.एल.–3/एफ.एल.–3–क/एफ.एल.–4/एफ.एल.–4 क) लायसेंस के वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में कितनी बार प्रभावी निरीक्षण किये गये हैं ? निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के लिए उसके विरूद्ध कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं ? उक्त निरीक्षणों में निर्धारित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर से कम प्रदाय दर की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का धारण/विक्रय किये जाने, निर्धारित धारिता से कम धारिता की बोतल में विदेशी मदिरा (स्पिरिट) का संग्रह पाये जाने अथवा विदेशी मदिरा स्कंध का सही–सही लेखा संधारित न किये जाने संबंधी अनियमितता के फलस्परूप यदि लायसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी हो, तो प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी किया जाये।

4 <u>अधोसंरचनात्मक मापदण्ड</u>

वर्ष 2015–16 में रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) तथा क्लब बार (एफ.एल.–4/एफ.एल.–4–क) लायसेंसों के लिये अधोसंरचनात्मक मापदण्ड निम्नानुसार होंगे।

5. <u>रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) लायसेंस के लिए निर्धारित मापदण्ड।</u>

वर्ष 2015–16 में रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) लायसेंस (1) कान्हा किसली, जिला मण्डला (2) पेंच, जिला सिवनी (3) बांधवगढ़, जिला उमरिया (4) मांडू, जिला धार (5) पंचमढ़ी, जिला होशंगाबाद (6) मुक्की, जिला बालाघाट के अतिरिक्त पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूची में जोड़े गये अन्य स्थानों तथा राज्य के सभी नगर निगम वाले जिलों के नगर निगम क्षेत्र में संचालित, प्रति एक हजार घनफीट के लिये एक टन के मान से पूरी तरह से वातानुकूलित (**Air conditioned**) रेस्तरां को निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेंगे। रेस्तरां के

वातानुकूलित (Air conditioned) होने की शर्त पंचमढ़ी में लागू नहीं होगी।

5.1 रेस्तरां का निर्माण सीमेन्ट कॉन्क्रीट की छत सहित स्थायी हो। उसका डायनिंग हॉल एक ही तल पर व एक ही कक्ष के रूप में होगा। एयर कन्डीशन्ड कवर्ड डायनिंग एरिया (Air conditioned Covered Dining Area) का क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट से कम नहीं होगा।

5.2 रेस्तरां में न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो।

5.3 रेस्तरां के साथ अतिथियों के ठहरने के लिए कमरे नहीं होंगे।

5.4 रेस्तरां में कवर्ड डायनिंग एरिया (Covered Dining Area) से भिन्न, परिसर में ही एक किचन पृथक से हो।

5.5 रेस्तरां में ही बार काउण्टर एवं मदिरा के संग्रह का पृथक से स्थान हो।

5.6 रेस्तरां के साथ महिला एवं पुरूष के लिए पृथक टॉयलेट (शौचालय) हो।

5.7 रेस्तरां संकरी गली में अवस्थित नहीं हो।

5.7 रेस्तरां में विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त व्यवस्था हो। इस संबंध में अनिवार्य रूप से संबंधित सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लायसेंस अवधि के लिये जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र हो।

5.8 रेस्तरां में आगन्तुकों की संख्या के मान से पर्याप्त एवं **Exclusive** चार पहिया / दो पहिया वाहनों की पार्किंग हो। (मॉल/शॉपिंग काम्पलेक्स में **Exclusive** पार्किंग के स्थान पर संयुक्त पार्किंग व्यवस्था को मान्य किया जायेगा।

5.9 आवेदक रेस्तरां द्वारा वैट टैक्स का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो। नियमानुसार वैट टैक्स की देयता से मुक्त पंजीकृत रेस्तरां के लिये यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

5.8 रेस्तरां का परिसर, सामान्य प्रयुक्ति के नियमों के नियम-1 के अनुसार आपत्तिरहित स्थान पर अवस्थित होना अनिवार्य होगा।

5.9 यदि रेस्तरां भवन की सम्पत्ति का उपयोग, भवन स्वामी से भिन्न, किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा लीज अथवा किरायेनामे के आधार पर किया जा रहा हो, तो ऐसा किरायानामा/लीज/अनुबंध संबंधित पंजीयन कार्यालय में लायसेंस की अवधि के लिये नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

नोट :- **म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व की इकाईयों के रेस्तरां के लिये न्यूनतम बैठक व्यवस्था एवं कवर्ड डायनिंग हॉल के क्षेत्रफल की सीमा का प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होगा।**

6. **होटल बार (एफ.एल.-3) लायसेंस के लिए निर्धारित मापदण्ड।**

6.1 वर्ष 2015-16 में होटल बार लायसेंस हेतु इच्छुक होटल में न्यूनतम 100 वर्गफुट क्षेत्रफल के कम से कम 10 वातानुकुलित (Air conditioned) कमरे हों।

6.2 कमरे केवल होटल के उद्देश्य से ही बनाये/तैयार किये गये हों। उनमें सीमेन्ट कॉन्क्रीट की छत एवं स्थायी दीवारें हों। अस्थायी दीवारें (Temporary Partition) न हों।

6.3 होटल के प्रत्येक कमरे में अटैच्ड शौचालय एवं स्नानगृह पृथक से हो।

6.4 होटल में बार रूम पृथक से हो।

6.5 होटल परिसर में एक किचन की पृथक व्यवस्था हो।

6.6 होटल में यात्रियों के कमरों के अतिरिक्त विश्रांतिका/लॉबी, स्वागत तथा सूचना कक्ष पृथक से हो।

6.7 होटल में एक या अधिक रेस्तरां होंगे।

6.8 होटल में आगन्तुकों की संख्या के मान से पर्याप्त एवं **Exclusive** चार पहिया/दो पहिया वाहनों की स्वतंत्र/रिजर्व पार्किंग हो।

6.9 आवेदक होटल द्वारा लग्जरी टैक्स/वैट टैक्स का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो। नियमानुसार लग्जरी टैक्स/वैट टैक्स की देयता से मुक्त

पंजीकृत होटल के लिये यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

6.10 होटल में विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त व्यवस्था हो। इस संबंध में अनिवार्य रूप से संबंधित सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लायसेंस अवधि के लिये जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र हो।

6.11 होटल बार लायसेंस हेतु आवेदक होटल का परिसर, सामान्य प्रयुक्ति के नियमों के नियम–1 के अनुसार आपत्तिरहित स्थान पर अवस्थित होना अनिवार्य होगा।

6.12 यदि होटल भवन की सम्पत्ति का उपयोग, भवन/सपत्ति के स्वामी से भिन्न, किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा लीज अथवा किरायेनामे के आधार पर किया जा रहा हो, तो ऐसा किरायानामा/लीज/अनुबंध संबंधित पंजीयन कार्यालय में लायसेंस की अवधि के लिए नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

6.13 होटल बार लायसेंस हेतु उपरोक्तानुसार उल्लेखित अधोसंरचनात्मक मापदण्ड मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम की स्वामित्व की इकाइयों के होटलों के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/**HRACC** द्वारा अभिप्रमाणित स्टार श्रेणी (तीन सितारा अथवा इससे उच्च श्रेणी) के होटलों अथवा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास निगम, आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित एक–एक अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा प्रमाणित समकक्ष स्तर के होटलों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित/प्रमाणित हैरिटेज होटलों **(Heritage Hotels)** के संदर्भ में प्रभावी नहीं होंगे।

7. <u>रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) लायसेंस के लिए निर्धारित मापदण्ड।</u>

(1) बांधवगढ़ (2) टायगर फारेस्ट पार्क, पन्ना (3) नेशनल पार्क, पेंच तथा (4) कान्हा नेशनल पार्क के अतिरिक्त उपरोक्त के संबंध में अधिसूचित अन्य नेशनल पार्को में पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूची में जोड़े गये स्थानों पर पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति करने वाले रिसोर्ट/होटल को रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) लायसेंस स्वीकृत किये जायेंगे।

7.1 रिसोर्ट/होटल में न्यूनतम 100 वर्गफुट क्षेत्रफल के पृथक से लैट–बाथ अटैच्ड कम से कम 05 वातानुकुलित कमरे अथवा वातानुकूलित आवासीय कक्ष अथवा वातानुकूलित टेन्ट हों।

7.2 रिसोर्ट/होटल में पृथक से रेस्तरां/डायनिंग एरिया हो।

7.3 रिसोर्ट/होटल में पृथक से बार रूम पृथक से हो।

7.4 रिसोर्ट/होटल में पृथक से विश्रांतिका/लॉबी हो।

7.5 रिसोर्ट/होटल में पृथक से स्वतंत्र रूप से रिजर्व पार्किंग होना अनिवार्य होगा।

7.6 रिसोर्ट/होटल में पृथक से स्वागत तथा सूचना कक्ष हो।

7.7 रिसोर्ट/होटल का परिसर, सामान्य प्रयुक्ति के नियमों के नियम–1 के अनुसार आपत्तिरहित स्थान पर अवस्थित होना अनिवार्य होगा।

7.8 यदि रिसोर्ट/होटल भवन की सम्पत्ति का उपयोग, भवन एवं संपत्ति के स्वामी से भिन्न, किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा लीज अथवा किरायेनामे के आधार पर किया जा रहा हो तो, ऐसा किरायानामा/लीज/अनुबंध संबंधित पंजीयन कार्यालय में नियमानुसार लायसेंस की अवधि के लिये पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

8. व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.4–क) लायसेंस के लिए निर्धारित मापदण्ड।

8.1 वर्ष 2015–16 में संचालित व्यवसायिक क्लब में क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस किसी ऐसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को स्वीकृत किये जा सकेंगे, जिसके पास निम्न सूचीबद्ध सुविधाओं में से कम से कम पांच सुविधाएं उपलब्ध हों। उसमें निम्नलिखित क्रमांक (1) एवं (2) पर उल्लेखित सुविधा का उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(1) तरणताल।
(2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम से कम 12 आयटम हो।
(3) बैडमिन्टन हॉल।
(4) बिलियर्ड्स/पूल टेबल।
(5) टेबल टेनिस हॉल।
(6) स्क्वैश कोर्ट।
(7) कार्ड्स रूम।
(8) लॉन टेनिस कोर्ट।

8.2 क्लब द्वारा वैट टैक्स का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो।

8.3 क्लब में विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त व्यवस्था हो। इस संबंध में अनिवार्य रूप से संबंधित सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लायसेंस अवधि के लिये जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र हो।

8.4 क्लब का परिसर, सामान्य प्रयुक्ति के नियमों के नियम–1 के अनुसार आपत्तिरहित स्थान पर अवस्थित होना अनिवार्य होगा।

8.5 यदि व्यवसायिक क्लब के भवन की सम्पत्ति का उपयोग, भवन एवं सपत्ति के स्वामी से भिन्न, किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा लीज अथवा किरायेनामे के आधार पर किया जा रहा हो तो, ऐसा किरायानामा/लीज/अनुबंध संबंधित पंजीयन कार्यालय में नियमानुसार लायसेंस की अवधि के लिये पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

9. रेस्तरां एवं होटल बार लायसेंसों की अधिकतम संख्या।

9.1 किसी भी जिले में 40 (चालीस) हजार से कम जनसंख्या के स्थानों पर होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस नहीं दिया जायेगा। घोषित पर्यटन स्थलों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या के प्रतिबंध के बिना होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस दिये जा सकेंगे।

9.2 जिले में 40 (चालीस) हजार से अधिक जनसंख्या के नगरों में प्रत्येक 40 (चालीस) जनसंख्या के पूरे स्लैब पर एक होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस दिया जा सकेगा।

9.3 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों में नये खुलने वाले रेस्तरांओं/होटलों के अतिरिक्त, नये आई.टी.डी.सी. होटलों, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/HRACC द्वारा अभिप्रमाणित नये तीन सितारा एवं इससे उच्च श्रेणी के सितारा होटलों अथवा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास निगम, आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित एक–एक अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा अभिप्रमाणित समकक्ष स्तर के नये होटलों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित/प्रमाणित नये हैरिटेज होटलों (Heritage Hotels) को फास्ट ट्रैक होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस दिया जा सकेगा। जिसके फलस्वरूप होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंसों की संख्या में अस्थायी बढ़त की जा सकेगी।

9.4 सभी प्रयोजनों के लिये जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानी जायेगी। शहर को एक इकाई माना जायेगा। विशिष्ट एरिया (जैसे कैन्टोनमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र आदि) को शहर का ही हिस्सा माना जायेगा।

9.5 नगर निगम वाले शहरों में रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) लायसेंसों की अधिकतम संख्या होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस के लिये तय की गई अधिकतम संख्या के बराबर रहेगी।

10. बार लायसेंसों के अन्तर्गत विदेशी मदिरा का विक्रय।

वर्ष 2015–16 में क्रूज बोट में स्वीकृत बार से भिन्न, सभी बार लायसेंसों के अन्तर्गत निम्न वर्णित अनुसार विदेशी मदिरा के विक्रय की अनुमति रहेगी।

10.1 विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा।

10.2 ड्राफ्ट बीयर।

10.3 बीयर, जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल या समतुल्य) रूपये 280/– से कम न हो।

10.4 स्पिरिट (व्हिस्की) जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल या समतुल्य) रूपये 1100/– से कम न हो।

10.5 स्पिरिट (रम, जिन, ब्राण्डी, वोदका, वाईन आदि) जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल या समतुल्य) रूपये 500/– से कम न हो।

10.6 10 प्रतिशत v/v तक एल्कोहल वाले रेडी टू ड्रिंक **(Low Alcohlic Beverages)** पेय जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (24 बोतल (नग) की समेकित धारिता अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक हो) रूपये 700/– से कम न हो।

11. <u>क्रूज बोट में स्वीकृत बार लायसेंस अन्तर्गत विदेशी मदिरा का विक्रय।</u>

वर्ष 2015–16 में क्रूज बोट में स्वीकृत बार लायसेंस अन्तर्गत निम्न वर्णित अनुसार विदेशी मदिरा के विक्रय की अनुमति रहेगी।

11.1 ड्राफ्ट बीयर।

11.2 बीयर, जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल या समतुल्य) रूपये 280/– से कम न हो।

11.3 वाईन।

11.4 10 प्रतिशत v/v तक एल्कोहल वाले रेडी टू ड्रिंक **(Low Alcohlic Beverages)** पेय जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (24 बोतल (नग) की समेकित धारिता अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक हो) रूपये 700/– से कम न हो।

12. विदेशी मदिरा का प्रदाय।

रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार (एफ.एल.–2/एफ.एल.–3/एफ.एल.–3–क/एफ.एल.–4/एफ.एल.–4–क) लायसेंस में विदेशी मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

12.1 वर्ष 2015–16 में बार लायसेंसी ड्राफ्ट बीयर विनिर्माता इकाई से प्राप्त करेगा। संबंधित जिले में देय ड्यूटी की राशि के भुगतान के बाद संबंधित जिला आबकारी कार्यालय द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, ड्राफ्ट बीयर का प्रदाय, विनिर्माता इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी परिवहन पारपत्र के आधार पर दिया जायेगा।

12.2 बार लायसेंसी मध्यप्रदेश राज्य में ही विनिर्मित वाइन को छोड़कर, विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा का क्रय संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित /नामांकित निकटस्थ स्थापित एवं बार लायसेंस से संबद्ध की गई विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की (एफ.एल.–1/एफ.एल.–1 ककक) दुकान के लायसेंसी से संबंधित जिला आबकारी कार्यालय द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र के आधार पर क्रय करेगा।

12.3 बार लायसेंसी को संबद्ध की गई विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की (एफ.एल.–1/एफ.एल.–1 ककक) दुकान से वांछित ब्राण्ड/लेबिल की विदेशी मदिरा उपलब्ध न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दी गयी अनुमति के अधीन, उसी जिले की ही किसी अन्य विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की (एफ.एल.–1/एफ.एल.–1 ककक) दुकान से दी जा सकेगी।

12.4 विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा को देय आयात फीस एवं बोतल फीस के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा दी गई स्वीकृति के अधीन जारी किये गये आयात परमिट पर, इस हेतु अधिकृत कस्टम बॉण्डेड वेयर हाउस लायसेंसी से क्रय एवं परिवहन किये जाने की अनुमति पूर्ववत् आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से यथावत् दी जा सकेगी।

12.5 वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों में स्थित रेस्तरांओं/होटलों के अतिरिक्त, आई.टी.डी.सी. होटल, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/**HRACC** द्वारा अभिप्रमाणित तीन सितारा एवं इससे उच्च श्रेणी के सितारा होटलों अथवा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास निगम, आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित एक–एक अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा अभिप्रमाणित समकक्ष स्तर के होटलों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित/प्रमाणित हैरिटेज होटलों (**Heritage Hotels**) को उस जिले में जहां ऐसी होटल इकाई स्थित एवं संचालित है, के लिये नामांकित विदेशी मदिरा भाण्डागार से विदेशी मदिरा के सीधे प्रदाय की सुविधा दी जायेगी। ऐसे रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) एवं होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस अन्तर्गत, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, क्रय की जाने वाली विदेशी मदिरा की मात्रा के अनुसार, लेबिल विशेष की प्रति बोतल घोषित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) के आधार पर, लेबिल विशेष की एक पेटी विदेशी मदिरा की देय कीमत/राशि के भुगतान के विरूद्ध, लेबिल विशेष की न्यूनतम एक पेटी (12 क्वार्ट बोतल) विदेशी मदिरा संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र के आधार पर प्रदाय की जायेगी।

12.6 वर्ष 2015–16 में बार लायसेंसी मध्यप्रदेश राज्य में ही विनिर्मित वाइन को सीधे विनिर्माता इकाई से अथवा ऐसी वाईन के रिटेल आउटलेट से संबंधित जिला आबकारी कार्यालय द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र के आधार पर क्रय कर सकेगा।

13. बार लायसेंस के अन्तर्गत संग्रहित विदेशी मदिरा की बोतलों की धारिता :–

13.1 बार लायसेंसो में विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा (**IMFL**) (स्पिरिट) (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन एवं वोदका आदि) 700 मिली लीटर अथवा अधिक धारिता की बोतल में, विदेशी मदिरा (बीयर) 325 मिली लीटर अथवा अधिक धारिता की बोतल/कैन में, 10 प्रतिशत v/v तक एल्कोहलयुक्त रेडी टू ड्रिंक (**Low Alcohlic Beverages**) पेय, 275 मिली लीटर अथवा अधिक धारिता की बोतल में एवं विदेशी मदिरा (वाईन) 180 मिली लीटर अथवा अधिक धारिता की बोतलों में संग्रहित करने की अनुमति होगी।

13.2 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम की स्वामित्व की इकाइयों के होटलों के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/**HRACC** द्वारा अभिप्रमाणित स्टार श्रेणी (तीन सितारा अथवा इससे उच्च श्रेणी) के होटलों अथवा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास निगम, आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित एक–एक अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा प्रमाणित समकक्ष स्तर के होटलों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित/प्रमाणित हैरिटेज होटलों (**Heritage Hotels**) के बार लायसेंसों में यात्रियों के ठहरने वाले कमरों में,

स्थापित किये गये फ्रिज में विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट) 60/90 मिली लीटर धारिता की सील्ड बोतलों में, बीयर 325 मिली लीटर धारिता की सील्ड बोतल/कैन में तथा वाईन 180 मिली लीटर धारिता की सील्ड बोतल में संग्रहित करने की अनुमति होगी।

14. <u>बार लायसेंसों के अन्तर्गत मिनिमम गारंटी –</u>

14.1 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों में स्थित रेस्तरांओं/होटलों, आई.टी.डी.सी. होटलों, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/**HRACC** द्वारा अभिप्रमाणित तीन सितारा एवं इससे उच्च श्रेणी के सितारा होटल अथवा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास निगम, आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित एक–एक अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा अभिप्रमाणित समकक्ष स्तर के होटलों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित/प्रमाणित हैरिटेज होटलों **(Heritage Hotels)** में स्वीकृत होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस मिनिमम गारंटी के निर्धारण से मुक्त रहेंगे।

14.2 वर्ष 2015–16 में स्वीकृत किये जाने वाले नवीन बार लायसेंसों की स्वीकृति उपरान्त, उनके संचालन के प्रथम वर्ष में मिनिमम गारंटी का निर्धारण न करते हुये, आगामी वर्ष 2016–17 के लिये प्रथम वर्ष के संचालन अवधि में विक्रय की गयी विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर) की वास्तविक मात्रा के आधार पर, सम्पूर्ण वर्ष के लिये समानुपातिक मात्रा की गणना कर, उस मात्रा में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर, ऐसी मात्रा को मिनिमम गारंटी (स्पिरिट एवं बीयर) निर्धारित किया जायेगा।

14.3 वर्ष 2014–15 में संचालित ऐसे रेस्तरां एवं होटल बार लायसेसों, जिनके द्वारा विगत दो वर्षों में अर्थात वर्ष 2012–13 में एवं वर्ष 2013–14 में निर्धारित मिनिमम गारंटी का उठाव न होने के कारण, उन पर देय वार्षिक लायसेंस फीस के 10 प्रतिशत से अधिक राशि विगत दोनों वर्षों में मिनिमम गारंटी पर शास्ति की राशि के रूप में अधिरोपित की गई है/जमा कराई गई है, ऐसे रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) एवं होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेसों द्वारा प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर, उनकी मिनिमम गारंटी का पुनरीक्षण किया जाकर, वर्ष 2014–15 के प्रथम 09 माहों में विक्रय की गई विदेशी मदिरा को समानुपातिक रूप से सम्पूर्ण वर्ष 2014–15 के लिये पुर्नगणित कर, ऐसी मात्रा में 05 प्रतिशत की वृद्धि कर, उस मात्रा को वर्ष 2015–16 के लिये उस रेस्तरां/होटल बार की मिनिमम गारंटी निर्धारित किया जायेगा।

14.4 शेष रेस्तरां एवं होटल बार लायसेंसों के लिये वर्ष 2015–16 में मिनिमम गारंटी, वर्ष 2014–15 की भांति यथावत् रहेगी।

त्रैमासिक आधार पर लायसेंसी द्वारा निर्धारित मिनिमम गारंटी (न्यूनतम विक्रय परिणाम) के समतुल्य विदेशी मदिरा (स्पिरिट व बीयर) क्रय न किये जाने की स्थिति में संबंधित कलेक्टर द्वारा ऐसी कम क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट/वाईन) की मात्रा पर रूपये 750/– प्रति प्रूफ लीटर तक और विदेशी मदिरा (बीयर) पर रूपये 40/– प्रति बल्क लीटर तक की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

14.5 यदि लायसेंसधारी वर्ष के लिए या लायसेंस की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाईन एवं माल्ट (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय नहीं करता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्पिरिट/वाईन एवं माल्ट (बीयर) मदिरा की कम क्रय की गई कुल मात्रा पर उपरोक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जाकर यथास्थिति शास्ति की वसूल की गई राशि वापिस या वसूल की जायेगी।

अथवा

यदि वित्तीय वर्ष या लायसेंस की कालावधि की समाप्ति पर वर्ष के लिए अथवा लायसेंस की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाईन एवं माल्ट (बीयर) मदिरा की पूरी न्यूनतम मात्रा लायसेंसी द्वारा क्रय कर ली जाती है, तो शास्ति की इस प्रकार वसूल की गई या जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगी।

15. बार लायसेंस हेतु प्रतिभूति प्रस्तुत की जाना :–

15.1 मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 20 अनुसार प्रत्येक रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3) एवं रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) सिविलियन/व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4/4–क) लायसेंसी को उसकी देय वार्षिक लायसेंस फीस की 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि की प्रतिभूति नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैक गारंटी के रूप में, जो दिनांक 30.06.2016 तक की अवधि के लिए वैध हो अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में दिनांक 30.06.2016 तक के लिए वैध एवं बन्धक किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक सावधि जमा **Fixed Deposit** के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15.2 प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम में प्रावधानित अनुसार **0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees** मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की गई हो, उसे ही स्वीकार किया जाये।

15.3 प्रतिभूति राशि की पूर्ति उपरान्त लायसेंस जारी किया जायेगा। लायसेंस की शर्तों अथवा अन्य प्रभावशील नियमों का उल्लंघन करने पर अथवा त्रैमासिक आधार पर की गई समीक्षा में अवशेष मिनिमम गारंटी पर यदि कोई आरोपित शास्ति/संधान राशि अथवा किसी प्रकार की अन्य राशि वसूली के लिए शेष रह जाती है, तो उक्त जमा प्रतिभूति की राशि से उसकी वसूली/ प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

15.4 अतः रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3) एवं रिसोर्ट बार (एफ. एल.–3–क) सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंसों के पुर्नस्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ, ऐसी प्रतिभूति की मूल प्रति संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में सुरक्षित रख कर उसकी कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न भिजवायी जाये।

16. विभाग को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त होती हैं कि राज्य शासन द्वारा रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3) एवं रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) के लायसेंस की स्वीकृति हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, उनमें से अधिकांश निरीक्षण के अवसर पर ही उपलब्ध होते हैं। ऐसे व्यवसायिक क्लब बार, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समानान्तर केवल विदेशी मदिरा विक्रय का केन्द्र बनकर रह जाते हैं। परिणामतः इससे समीपवर्ती मदिरा दुकानों के लायसेंसियों को हानि होती है। शासन निर्देशों के पालन की दृष्टि से भी यह उपयुक्त नहीं है।

17. अतः यह आवश्यक है कि इस कार्यालय द्वारा जारी किये जा रहे उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2015–16 के लिए रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3) एवं रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस की पुनःस्वीकृति के प्रस्ताव आपके द्वारा भेजे जायें, उनमें अधीनस्थ सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी

अधिकारी से कार्यालय प्रमुख के रूप में अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि व्यवसायिक बार लायसेंस स्वीकृत किये जाने के लिये, जो मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं, वे सम्यक रूप से वर्तमान में भी प्रभावी एवं उपलब्ध हों।

18. किसी वर्तमान व्यावसायिक क्लब बार लायसेंस को वर्ष 2015–16 के लिए, बार लायसेंस की पुनःस्वीकृति की अनुशंसा करते समय आप इस तथ्य से अवगत रहें कि जिस व्यावसायिक क्लब के लिए बार लायसेंस की पुनः स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, वहां मदिरा मुख्यतः क्लब के पंजीकृत सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को ही स्वल्पाहार/भोजन के साथ उपलब्ध करायी जा रही है। मदिरा का विक्रय करना मात्र आवेदक का उद्देश्य नहीं है।

19. <u>बार लायसेंसों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण</u>

19.1 रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं क्लब बार लायसेंसों के लिये प्रभावी सभी अधोसंरचनात्मक मापदण्ड लायसेंस अवधि में यथावत लागू हैं, इस दृष्टि से वर्ष 2015–16 में बार लायसेंसों के प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार प्रभावी निरीक्षण कराये जाकर यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि बार लायसेंस के अंतर्गत निर्धारित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर से कम प्रदाय दर की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का धारण/विक्रय नहीं किया गया है। निर्धारित धारिता से कम धारिता की बोतल में विदेशी मदिरा का संग्रह नहीं किया गया है। विदेशी मदिरा संग्रह का सही–सही लेखा संधारित किया गया है। लायसेंसी द्वारा इस अवधि में कोई गंभीर अनियमितता नहीं की गई है। तदनुसार निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ही बार लायसेंसों के आगामी वर्ष 2015–16 हेतु नवीनीकरण की अनुमति दी जायेगी।

19.2 वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए निरीक्षण में पायी गई अनियमितताओं के लिए लायसेंसी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार लायसेंस के निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाकर, वर्ष 2016–17 के लिए ऐसे बार लायसेंसों के नवीनीकरण की अनुमति/कार्यवाही को अमान्य किया जाये।

20. **वर्ष 2015–16 के लिये बार लायसेंसों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस :–**

रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंसों की वार्षिक लायसेंस फीस निम्नांकित सारणी अनुसार रहेगी।

<u>(क) रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) लायसेंस</u>

क्र	रेस्तरां का स्थान	वार्षिक लायसेंस फीस
1.	जिला इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के नगर निगम क्षेत्र में स्थित रेस्तरां।	रूपये 8,00,000/–
2.	जिला उज्जैन, सागर एवं रीवा के नगर निगम क्षेत्र में स्थित रेस्तरां।	रूपये 7,50,000/–
3.	उपरोक्त से भिन्न नगर निगम वाले अन्य जिलों के नगर निगम क्षेत्र में स्थित रेस्तरां।	रूपये 6,50,000/–
4.	(1) कान्हा किसली, जिला मण्डला (2) पेंच, जिला सिवनी (3) बांधवगढ़, जिला उमरिया (4) मांडू, जिला धार (5) पंचमढ़ी, जिला होशंगाबाद और (6) मुक्की, जिला बालाघाट के अतिरिक्त पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूची में जोड़े गये अन्य पर्यटन व उद्योग विभाग द्वारा चिन्हित औद्योगिक स्थानों पर स्थित रेस्तरां।	रूपये 2,50,000/–
5.	क्रूज बोट।	रूपये 2,00,000/–

6.	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के स्वामित्व की इकाईयों में संचालित रेस्तरां।	स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के रेस्तरां के लिये देय लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत

(ख) होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस

क्र	स्थान	होटल का स्थान	वार्षिक लायसेंस फीस
1.	जिला इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर	(क) नगर निगम क्षेत्र में स्थित होटल	रुपये 12,00,000/–
		(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न अन्य स्थान पर स्थित होटल	रुपये 7,00,000/–
2.	जिला उज्जैन	(क) नगर निगम क्षेत्र में स्थित होटल	रुपये 9,50,000/–
		(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न अन्य स्थान पर स्थित होटल	रुपये 6,50,000/–
3.	जिला सागर एवं रीवा	(क) नगर निगम क्षेत्र में स्थित होटल	रूपये 7,50,000/–
		(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न अन्य स्थान पर स्थित होटल	रूपये 6,00,000/–
4.	अन्य जिले एवं स्थान	उपरोक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 से भिन्न अन्य किसी भी जिले/स्थान पर स्थित होटल	रूपये 6,00,000/–
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हेरिटेज होटल, जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हों।		रूपये 2,50,000/–
6.	नगर, शहर तथा स्थान जहां केवल मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल बार (एफ.एल.–3) अनुज्ञप्ति हो।		रूपये 3,50,000/–
7.	उपरोक्त क्रमांक 6 से भिन्न मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के स्वामित्व की इकाईयों में संचालित होटल		स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के होटल के लिये देय लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत

नोट :– उपरोक्त वार्षिक लायसेंस फीस होटल के एक रेस्तरां एवं रूम सर्विस के लिए देय होगी। होटल में एक से अधिक रेस्तरां होने पर उनमें मदिरा परोसने के लिए, ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त रेस्तरां के लिये (मदिरा का संग्रह एक ही स्थान पर रखते हुये) देय वार्षिक लायसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि, पृथक से लायसेंस फीस के रूप में प्रभारित की जायेगी।

(ग) ईको एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थल नगर/शहर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होटल।

क्र	स्थान की श्रेणी	वार्षिक लायसेंस फीस
1.	ए–श्रेणी के लिए	रुपये 4,50,000/–
2.	बी–श्रेणी के लिए	रुपये 4,00,000/–
3.	सी–श्रेणी के लिए	रुपये 3,50,000/–

(घ) रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) लायसेंस

क्र	रिसोर्ट/होटल का स्थान	वार्षिक लायसेंस फीस
1.	(1) बांधवगढ़ (2) टायगर फारेस्ट पार्क, पन्ना (3) नेशनल पार्क, पेंच तथा (4) कान्हा नेशनल पार्क आदि के अतिरिक्त उपरोक्त के संबंध में अधिसूचित अन्य नेशनल पार्क में पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूची में जोड़े गये स्थानों पर स्थित रिसोर्ट।	रुपये 6,50,000/–

(ड.) क्लब बार लायसेंस

क्र	प्रकार	श्रेणी	वार्षिक लायसेंस फीस
1.	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) लायसेंस		रुपये 1,00,000/–
2.	व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस	(क) नगर निगम वाले जिलों में स्थित क्लब	रुपये 6,00,000/–
		उपरोक्त क्रमांक (क) से भिन्न अन्य जिलों में स्थित क्लब	रुपये 3,00,000/–

नोट– नवीन रेस्तरांबार (एफ.एल. 2), होटल बार (एफ.एल. 3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.3 क) एवं क्लब बार (एफ.एल. 4/4 क) लायसेंसों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस जिस माह में लायसेंस स्वीकृत किया गया है, उसे पूर्ण एक माह मानकर, वर्ष की शेष अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जायेगी। नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिये प्रभारित होगी।

संलग्नः–
चैक लिस्ट (उपरोक्तानुसार)

(राकेश श्रीवास्तव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक 6–ब–2/लाय./2015–16/68 ग्वालियर दिनांक 25.02.2015

प्रतिलिपिः–

1. अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन/तकनीकी) की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय, उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. उपायुक्त आबकारी (प्रशासन/तकनीकी) मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर, उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु

(राकेश श्रीवास्तव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश